"RAMDEV - VIHAR"

LAY OUT PLAN OF KHASRA NO. 437 OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR

LAND USES ANALYSIS

PLOTS	AREA in Sq.yd.	AREA OF %
TOTAL PLOT AREA	3268.38	55.95 %
PARK AREA	297.34	05.09 %
M.T./S.W.D. AREA	59.47	01.02 %
ROAD AREA	2216.89	37.94 %
TOTAL SCHEME AREA	5842.08	100.00 %
Area in Bigha. = 3 Bigha , 7 Bishwansi		

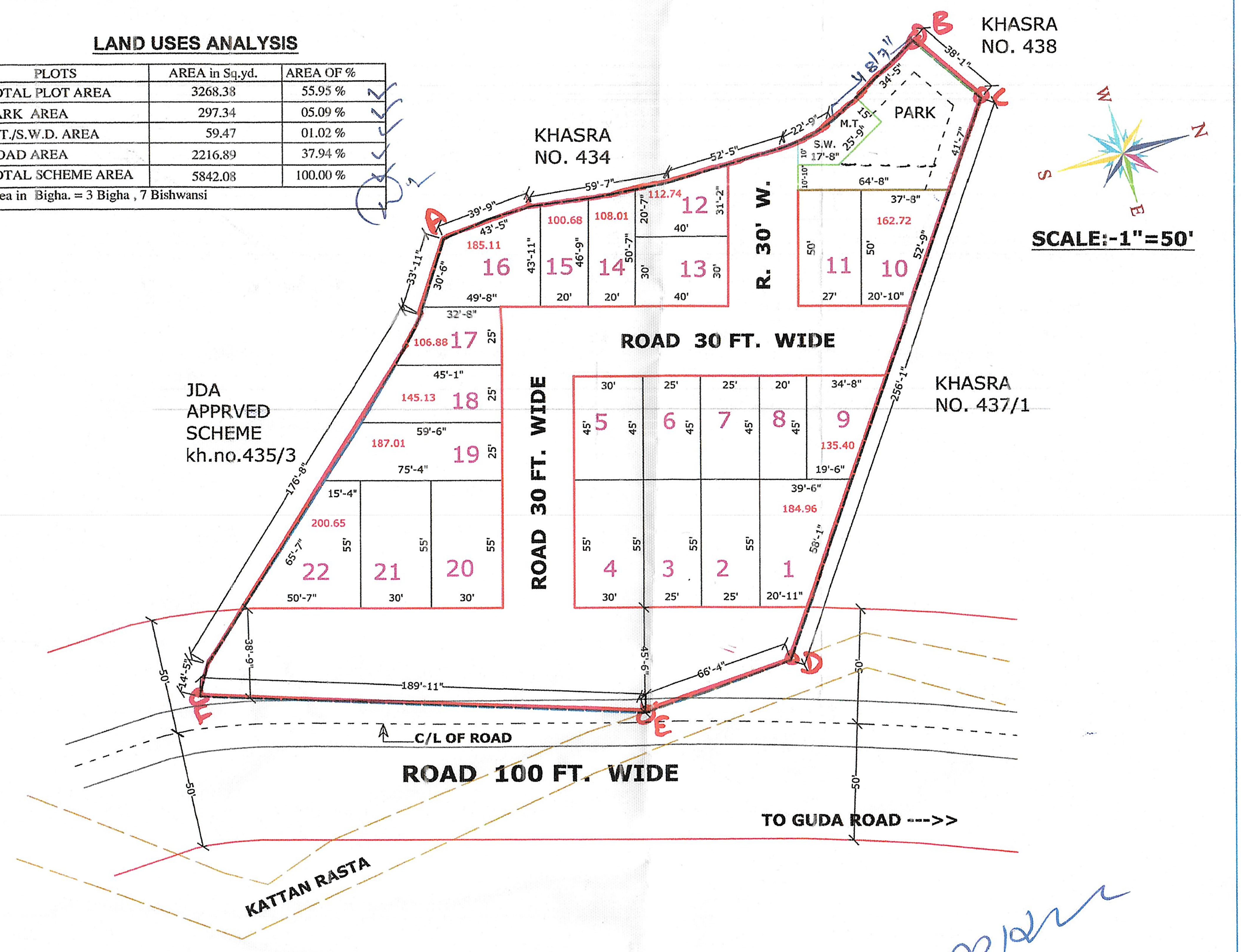

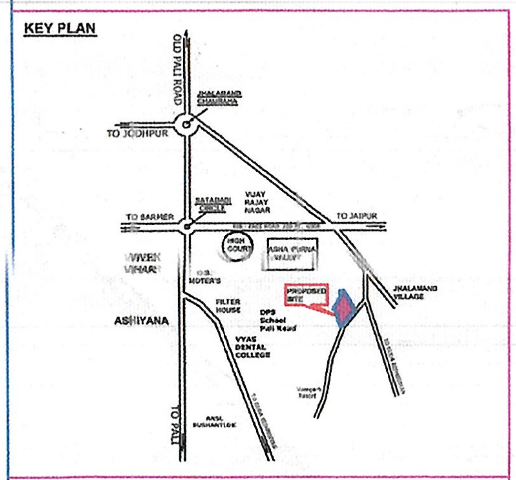

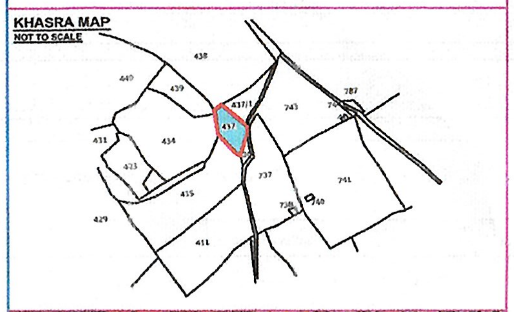

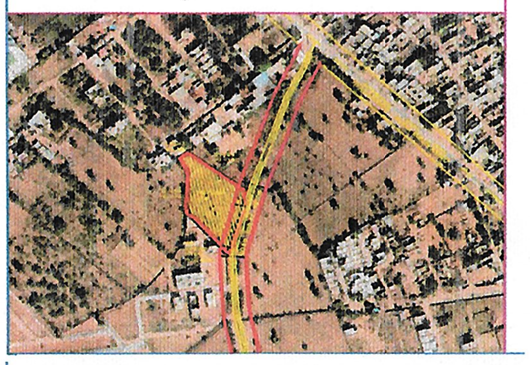

दिनांक 12/4/23 को सुपर इम्पोज/भौतिक सत्यापित LAYOUT PLAN से प्रस्तुत LAYOUT PLAN का मिलान कर सीमाओं को लाल स्याही से बिन्दु A से F मार्क किया गया।

(प्रवीण आचिया) 22/9/23
निरीक्षक (भू.अ.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

एजेण्डा संख्या 03 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
29.08.2023	जोन–2	झालामण्ड	437	03.04.00 बीघा में से 03.00.07 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री मंगलाराम पुत्र श्री गंगाराम				
विषयः–	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 437 रकबा 03.04.00 बीघा में से 03.00.07 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौडाई पूर्व कमिटमेंट अनुसार 30 मीटर रखे जाने हेतु सडक मध्य से 15 मीटर में आ रही प्रार्थी की भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जावें। 2. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 3. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें। 4. योजना का क्षेत्रफल 2 है0 से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 5. प्रस्तावित योजना मानचित्र में पार्क के सहारे दर्शित 10 फीट पाथ को पार्क में दर्शाया जावें, तथा पाथ क्षेत्रफल की गणना पार्क के न्यूनतम 5 प्रतिशत क्षेत्र के अतिरिक्त की जावे। अर्थात न्यूनतम 5 प्रतिशत पार्क एवं पाथ के क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए कुल क्षेत्रफल को पार्क क्षेत्रफल दर्शाया जावे। 6. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावें। 7. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। 8. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 9. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमारकेशन उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्रार्थी द्वारा की जावें। 10. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 11. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

22/9/23
सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

22/09/2023
उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

SH. PRITHVI RAJ
LICENCE No. JDA/TECH./2021/07
Plot No. 66, Laxmi Vihar
Kudi Bhagtasani, Jodhpur
(M) 9414134639, 9950780333